संख्या-76/2022/1500/छप्पन-2022-56/1099/199/2019

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2022

विषयः- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अर्न्तगत विकसित किए जा रहे श्रावस्ती एयरपोर्ट पर टेलीकॉम सेवा हेतु उपलब्ध कराए गए आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-153/आर0सी0एस0-2022-एस-2/2022 दिनांक 21 सितम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अर्न्तगत विकसित किए जा रहे श्रावस्ती एयरपोर्ट पर टेलीकॉम सेवा हेतु जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा उपलब्ध कराए गए बी0एस0एन0एल0, बहराइच के आगणन लागत रू0 33,03,441/- (रूपए तैंतीस लाख तीन हजार चार सौ इक्तालीस मात्र) के परीक्षणोंपरान्त समुचित आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अर्न्तगत विकसित किए जा रहे श्रावस्ती एयरपोर्ट पर टेलीकॉम सेवा हेतु धनराशि रू0 33,03,441/- (रूपए तैंतीस लाख तीन हजार चार सौ इक्तालीस मात्र) का भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता अनुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 33,03,441/- (रूपए तैंतीस लाख तीन हजार चार सौ इक्तालीस मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, श्रावस्ती के निर्वतन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा यथा आवश्यकता सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा लेखाशीर्ष ''3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42 अन्य व्यय '' से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2021/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

<u>संख्या- 76/2022/1500(1)/छप्पन-2022-56/1099/199/2019, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/श्रावस्ती।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
7- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।